मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

1. ओमप्रकाश आदि बनाम 1. आसाराम आदि

दावा बाबत :– 88-53 RTA-4

मुकदमा नम्बर :– 128/21

निर्णय दिनांक :– 16.12.21

वादी की ओर से वकील एड. मनोज बंसल की व प्रतिवादी सं0 – की ओर से वकील मुनीश शारदा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16/12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मुताबिक राजीनामा वाद-वादी डिक्री किया जाता है तथा राजीनामा, वाद, रगधर नक्शा की प्रमाणित प्रति को डिक्री का भाग पढ़ा जावे। तथा हमी अनुसार, कृषि भूमि बैक रहन है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में बोजा का रिकार्ड दुरूस्त करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़